बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

के0प्रा0यो0 (शत प्रतिशत)

ज्ञापांक–1 / छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0–32 / 2008–   पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2014–15 में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में कुल ₹2219.07 लाख (रूपये बाईस करोड़ उन्नीस लाख सात हजार) मात्र की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

राज्य सरकार द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु बजट उपबंध के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 32 दिनांक–24.07.14 द्वारा कुल ₹4778.83 लाख (रूपये सैंतालिस करोड़ अठहत्तर लाख तिरासी हजार) मात्र की स्वीकृति दी गयी है। पुनः उक्त योजना के अन्तर्गत कुल उपलब्ध राशि ₹2219.07 लाख (रूपये बाईस करोड़ उन्नीस लाख सात हजार) मात्र, जिसका बजट उपबन्ध द्वितीय अनुपूरक आगणन द्वारा किया गया है, को संलग्न विवरणी के अनुसार स्वीकृत किया जाता है।

2– उक्त सम्पूर्ण राशि का व्यय भार वित्तीय वर्ष 2014–15 में माँग संख्या–11 के अन्तर्गत योजना बजट शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–0212–अन्य पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित, घुमंतू तथा अर्द्ध घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम विषय शीर्ष–3401 छात्रवृत्ति/वजीफा विपत्र कोड–P2225032770212 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सम्बन्धी जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो पूर्व से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित है। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी राशि की नियमानुसार निकासी एवं व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

4– इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या– 2561, दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जाएगा।

5– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी हीं की जाय जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक–31.03.2015 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रखा जाय।

6– इस संबंध में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7– संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

8– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

9– पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या–06 दिनांक–13.03.15 को निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अनु0–**यथोक्त।**

ह0/–
(बी० प्रधान)
प्रधान सचिव।

20/3/15

Letter of Princ.Secy.(Harry)

ज्ञापांक–1/छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0–32/2008– 09 पटना, दिनांक–23.3.15

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Brimbodha Pradhan

प्रधान सचिव। 20/3/15

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2014–15 में केन्द्र प्रायोजित योजना (शत प्रतिशत) के अन्तर्गत स्वीकृत राशि की विवरणी

(रू0 लाख में)

क्र0	जिला का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1	पटना	100.00
2	नालंदा	100.00
3	रोहतास	100.00
4	भभुआ	40.00
5	भोजपुर	50.00
6	बक्सर	40.00
7	गया	100.00
8	जहानाबाद	40.00
9	अरवल	30.00
10	नवादा	80.00
11	औरंगाबाद	100.00
12	सारण	80.00
13	सिवान	40.00
14	गोपालगंज	35.00
15	मुजफ्फरपुर	80.00
16	सीतामढ़ी	60.00
17	शिवहर	0.00
18	प0 चम्पारण	40.00
19	पू0 चम्पारण	50.00
20	वैशाली	70.00
21	दरभंगा	70.00
22	मधुबनी	60.00
23	समस्तीपुर	60.00
24	सहरसा	40.00
25	सुपौल	40.00
26	मधेपुरा	64.07
27	पूर्णियाँ	50.00
28	अररिया	50.00
29	किशनगंज	40.00
30	कटिहार	60.00
31	भागलपुर	70.00
32	बाँका	70.00
33	मुँगेर	60.00
34	लखीसराय	50.00
35	शेखपुरा	50.00
36	जमुई	50.00
37	खगड़िया	50.00
38	बेगुसराय	50.00
	कुल योग	**2219.07**

(रूपये बाईस करोड़ उन्नीस लाख सात हजार) मात्र

पत्रांक–09 दिनांक–23.3.15 का अनुलग्नक

Brindadha Pradhan
प्रधान सचिव। 20/3/15